न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर

R. 3860-I/14

मईयादीन तनय श्री वंशू लोधी
निवासी ग्राम जमनिहां तह. चंदला
जिला छतरपुर

.....निगरानीकर्ता

विरूद्व

.....अनावेदक

म.प्र.शासन

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्तागण न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 13/8/14 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहे है :–

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सडकर स्थित भूमि खसरा क्र 39, 42/2, 45, 49/1 रकवा क्रमशः 0.380, 0.332, 0.607, 0.257 हे. भूमि पर निगरानीकर्ता के पूर्वजो एंव निगरानीकर्ता का 2/10/1984 के पूर्व से कब्जा होने के कारण दखलरहित अधिनियम के अंतर्गत निगरानीकर्ता द्वारा भूमि के व्यवस्थापन हेतु एक आवेदन पत्र नायब तहसीलदार बछौन के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसके आधार पर नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्र 83/अ–19/87–88 पंजीबद्व कर दिनांक 22/2/89 को अपना विधि संमत् आदेश पारित कर निगरानीकर्ता के पक्ष मे व्यवस्थापन आदेश पारित किया गया। निगरानीकर्ता वादग्रस्त भूमि पर विगत 40 वर्ष से काबिज है तथा उसके द्वारा अत्याधिक धन व्यय कर व परिश्रम से भूमि को काबिल कास्त बनाया है परंतु अपर कलेक्टर द्वारा करीब 22 वर्ष की लंबी अवधि पश्चात् अधीक्षक भू अभिलेख से मनमाने तौर पर जांच कराकर प्रकरण को इतनी लंबी अवधि पश्चात् बिना किसी क्षेत्राधिकार के स्वमेव निगरानी में पंजीबद्व कर दिनांक 13/8/14 को अपना विधि विपरीत आदेश पारित किया है जिससे परिवेदित होकर निगरानीकर्ता की यह निगरानी सशक्त आधारों पर श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3860–एक/2014 जिला छतरपुर

मईयादीन विरूद्ध म0प्र0 शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
08–03–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 132/स्वमेव निगरानी/अ–19/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 13–8–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 06–05–2019 को आयुक्त सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) सदस्य 08/3/19	